भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

The Jute Corporation of India Limited

(A Government of India Enterprise)

आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी / An ISO 9001:2015 Certified Company

पंजीकृत और प्रधान कार्यालय:15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, 7वां तल
Regd. & Head Office: 15N, Nellie Sengupta Sarani, 7th Floor
कोलकाता / Kolkata – 700 087

सी.आई.एन./C.I.N.:U17232WB1971GOI027958

संदर्भ सं.: दिनांक :

सेवा में,

विषय: फसल वर्ष -------------------- के कच्चे जूट की बिक्री।

संदर्भ: बोली सूचना संख्या: --------------------- दिनांक: ----------------

प्रिय महोदय,

उपरोक्त के संदर्भ में हमने आज के दिन आपके पास निम्नलिखित किस्मों और श्रेणियों के ----------------------- क्विंटल कच्चे जूट को नीचे उल्लेखित कीमतों एवं विनियम और शर्तों पर बेचा:

कच्चे जूट की बिक्री की मात्रा का विवरण सिलीगुड़ी के लॉट के टीडी5 श्रेणी के लिए ------------ /- रुपये के आधार पर निम्न प्रकार है एवं अन्य श्रेणी एवं किस्म की कीमत खंड 1.2 के अनुसार है:

मिल डेलिवरी/आंकड़े क्विं. में हैं।

क्र. सं.	क्षेत्र	श्रेणी का सम्मिश्रण (क्विं.)								मिल डेलिवरी टीडी5/डब्ल्यू5 के आधार पर कीमत (रु./क्विं.)
		टीडी2/ डब्ल्यू2	टीडी3/ डब्ल्यू3	टीडी4/ डब्ल्यू4	टीडी5/ डब्ल्यू5	टीडी6/ डब्ल्यू6	टीडी7/ डब्ल्यू7	टीडी8/ डब्ल्यू8	**कुल**	
1.										

विक्रय के निबंधन और शर्तें

1.0 बिक्री का अनुबंध तुरंत समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 90 दिनों (जैसाकि दर-सूची के फार्मेट में उल्लेखित है) की अवधि के लिए वैध रहेगा और निर्धारित डेलिवरी उपरोक्त उक्त अवधि के अंदर अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तुरंत समझौते के उद्देश्य के लिए उपरोक्त अवधि को अनुबंध अवधि के रूप में दर्शाया जाएगा। समय इस अनुबंध का सार है।

1.1 क्रेता को बेची जाने वाली मात्रा ---------------------- क्विंटल है जिसमें बोली दस्तावेज के टेबुल के अनुसार बिक्री के लिए उपलब्ध सभी श्रेणी एवं किस्म शामिल हैं। फिर भी मात्रा/किस्म/श्रेणी की भिन्नता की अनुमति अनुबंधित मात्रा के (±) 5% तक दी जाएगी।

1.2 "पेशकश की गई लॉटों की श्रेणीवार मात्रा का विवरण" में दी गई अनुसूची के अनुसार (जैसाकि बोली सूचना सं. संदर्भ सं. ------------------- दिनांक: 01.11.2019 में दी गई है) उपलब्ध बिक्री मात्रा ---------------------- क्विं. में श्रेणी टीडी3 से टीडी7 शामिल हैं और तदनुसार एमआईडी श्रेणी के आधार पर श्रेणी के विभेदक दरों पर विचार करते हुए मूल्य निर्धारिण किया जाना है जो निम्न प्रकार है:

क्षेत्र का नाम	**टीडी2/ डब्ल्यू2**	**टीडी3/ डब्ल्यू3**	**टीडी4/ डब्ल्यू4**	**टीडी5/ डब्ल्यू5**	**टीडी6/ डब्ल्यू6**	**टीडी7/ डब्ल्यू7**	**टीडी8/ डब्ल्यू8**
सिलीगुड़ी	संदर्भ+	संदर्भ+	संदर्भ+	**संदर्भ**	संदर्भ-	संदर्भ-	संदर्भ-

1.3 स्वीकार्य नमी 18%। कच्चे जूट के लिए इजिरा(IJIRA) अनुमोदित मोइस्चर मीटर के साथ-साथ इलेक्ट्रोड्स से संबंधित मीटर रीडिंग को ही संज्ञान में लाया जाएगा। (स्वीकार्य नमी पुनःप्राप्त % की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी)।

1.4 अनुबंध को ऊपर दिए गए विनिर्देश के अनुसार जूट की सुपुर्दगी करने पर पूरा किया गया समझा जाएगा।

1.5 डेलिवरी/लिफ्टिंग की अवधि: डेलिवरी (मिल डेलिवरी के मामले में)/लिफ्टिंग (एक्स-गोदाम डेलिवरी के मामले में) इस अनुभाग के खंड 1.13 में दर्शाये गये के अनुसार भुगतान का विवरण प्रस्तुत करने के उपरांत उपरोक्त खंड 1.0 के अनुसार "अनुबंध अवधि" के अंदर पूरी हो जाएगी। प्रेषण के लिए अपेक्षित दस्तावेज जैसे ई-वे बिल्स आदि की व्यवस्था पार्टी द्वारा ही की जानी है।

1.6 डेलिवरी की शर्तें: मिल डेलिवरी।

1.7 क्रेता का दायित्व है कि वह "भारतीय पटसन निगम लिमिटेड" के पक्ष में केवल कोलकाता में देय किसी भी अनुसूचित बैंक पर भुगतान दस्तावेज़ जमा करने की निर्धारित तिथि से अधिकतम 5 कार्य दिवसों के अंदर शुल्क या ढुलाई शुल्क 5/- रु. के हिसाब से प्रति क्विंटल प्रति दिन भुगतान करेगा। उपरोक्त शर्त का चूक और/या उल्लंघन तुरंत अनुबंध के खंड 1.20 के अनुसार अनुबंध की समाप्ति की ओर ले जाएगा।

1.8 वजन: डीपीसी के पास/मिल के पास दर्ज वजन (±) 25 किलोग्राम/प्रति लॉरी के साथ दोनों पार्टियों के लिए अंतिम और स्वीकार्य होगा। एक्स-गोदाम डेलिवरी के मामले में डीपीसी में दर्ज वजन अंतिम होगा।

1.9 केवल असामान्य वजन की कमी के समय क्रेता के परिसर में पुन: वजन किया जाएगा और इसे ट्रक चालक के नाम, हस्ताक्षर और ड्राइविंग लाइसेंस संख्या के साथ-साथ भापनि के प्रतिनिधि के नाम एवं हस्ताक्षर के साथ चालान के पीछे अवश्य ही लिखा जाना चाहिए।

1.10 हटा दिया गया।

1.11 मिल डेलिवरी हेतु भापनि नोमिनल/वास्तविक वजन के आधार पर बीजक तैयार करेगा जो कि छंटाई की गई जूट गांठों को मिलों में डेलिवरी के समय डीपीसी के नजदीक लिया जाएगा।

1.12 हटा दिया गया।

1.13 भुगतान की शर्तें:

क्रेता द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 5 कार्य दिवस के अंदर कोलकाता में देय किसी भी अनुसूचित बैंक में अग्रिम में पूरा कीमत (सभी करों एवं मात्रा में अंतर को मिलाकर) 78,52,405/- रुपये (अठहत्तर लाख बावन हजार चार सौ पांच रुपये) मात्र जमा करना है।

बैंक का विवरण निम्न प्रकार हैं:

खाताधारक का नाम- भारतीय पटसन निगम लि.
बैंक का नाम- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
खाता सं.1039797752.
आईएफएससी-सीबीआईएन0280105
शाखा का नाम- न्यू मार्केट

i) यदि डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/आरटीजीएस द्वारा पूरा भुगतान होता है तो ईएमडी को (अर्थात् उद्धृत मूल्य का 10%) मिल डेलिवरी के मामले में डेलिवरी के पूरा होने अथवा एक्स-गोडाउन डेलिवरी के मामले में पार्टी द्वारा सामग्री उठाने के उपरांत बिना किसी ब्याज के वापस किया जाएगा।

ii) कोलकाता में किसी भी अनुसूचित बैंक के साथ खोले गए पुष्टि एवं अपरिवर्तनीय साख-पत्र के माध्यम से किए गए भुगतान के मामले में भुगतान की पूरी वसूली होने तक ईएमडी निगम के पास रहेगा। यह स्वीकार किया जाता है कि उपरोक्त शर्त के उल्लंघन के मामले में अनुबंध तुरंत अनुबंध के खंड 1.20 के अनुसार समाप्त हो जाएगा और उसकी ईएमडी सुनवाई के कोई भी अवसर दिये बिना जब्त हो जाएगी। तथापि भापनि समय-समय पर भुगतान की शर्त को मॉडरेट करने का अधिकार रखता है और तदनुसार भापनि के साथ लेनदेन करते समय बोलीदाताओं के विगत भुगतान के रिकॉर्ड के आधार पर उनके प्रस्ताव का मूल्यांकन करने का अधिकार रखता है। भापनि मामले के आधार पर '3री पार्टी के साख-पत्र (एलसी)' पर विचार करने का अधिकार रखता है बशर्ते कि 'तीसरी पार्टी' लिखित रूप में 'विक्रय अनुबंध' के पुष्टिकरण पार्टी बनने के लिए सहमत हो और इस खंड के प्रस्तावित साक्ष-पत्र (एलसी) के लिए सहमत हो एवं वह भापनि को स्वीकार्य हो।

1.14 **एल/सी की शर्तें:** साख-पत्र(एल/सी) में निम्नलिखित शामिल हैं:

i) पुष्टि और अपरिवर्तनीय एवं मुहर लगी हो जैसाकि कानून के अंतर्गत अपेक्षित है;

ii) किसी भी अनुग्रह अवधि (मुहलत) के बिना साइट पर इसके अंतर्गत मसौदा और बीजक के अधिकृत भुगतान करेगा;

iii) सामानों के कीमत को कवर करेगा जैसाकि खंड 6 में दर्शाया गया है जिसमें ढुलाई प्रभार, देरी से उठाने का प्रभार और अन्य आकस्मिक लागत शामिल हैं;

iv) नोमिनल वजन/स्पॉट वजन के आधार पर बीजक का बातचीत करने की अनुमति देगा;

v) अनुबंध की शर्तों के अनुसार न उठाई गई मात्रा के लिए अस्थायी बीजक के आधार पर दस्तावेजों का बातचीत करने की अनुमति देगा;

vi) भिन्नता के प्रावधान के साथ श्रेणियों और किस्मों द्वारा विक्रय अनुबंध संख्या और तिथि तथा मात्रा के कीमत को दर्शाएगा;

vii) एल/सी की अंतिम रसीद की तिथि से 90 दिनों या उससे अधिक के लिए वैध रहेगा, जिस तरीके से भापनि को मसौदा और बीचक की सुपुर्दगी, बातचीत और भुगतान के उद्देश्य के लिए स्वीकार्य है;

viii) भापनि को क्रेता से सभी बैंक/बातचीत शुल्क की वसूली करने के लिए अधिकृत करेगा;

ix) आंशिक शिपमेंट और ट्रांसशिपमेंट की अनुमति देगा;

x) मसौदा एवं बीजक के बातचीत तथा भुगतान करने के लिए क्रेडिट ओपेनिंग बैंक को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने के लिए निर्धारित करेगा;

ए) अपने क्रेता के अनुरोध पर भापनि द्वारा की गई डेलिवरी के मामले में संबंधित रेलवे रसीद या लॉरी कंसाइनमेंट नोट या लॉरी चालान या मिल रसीद के साथ डुप्लिकेट में मसौदा और हस्ताक्षरित बीजक;

बी) विधिवत प्राप्त चालान जिसे भापनि द्वारा जारी किया गया है या मिल रसीद के साथ डुप्लिकेट में मसौदा और हस्ताक्षरित बीजक जब क्रेता अथवा उसके प्रतिनिधि भापनि के गोदाम से डेलिवरी लेता है;

सी) अनुबंध का विलंब से भुगतान करने का प्रभार योग्य ढुलाई लागत एवं लॉरी रोकने के प्रभार के लिए उठाया गया डेबिट नोट

xi) अनुबंध में निर्धारित शर्त का पालन न करने की स्थिति में निगम को अतिरिक्त राशि वसूलने के लिए अधिकृत करेगा।

xii) जैसाकि अन्यथा स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है को छोड़कर इस एल/सी को दस्तावेजी क्रेडिट (1993 संशोधन) के समान परिपाटी और प्रथाओं के अधीन खोला जाना है जैसाकि इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स पब्लिकेशन नंबर 500/600 में शामिल है अथवा जैसाकि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

1.15 तोसा/सफेद/मेस्टा/बिमली जूट बीआईएस ग्रेड मानकों के अनुसार होगा और लागू मानकें संबंधित फसल वर्ष के अनुसार होगा।

1.16 गुणवत्ता पर किसी भी विवाद के लिए ±40% दोनों पार्टियों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा मिलों को मिल रसीद के माध्यम से दावा पेश करना चाहिए जो सामान की प्राप्ति तिथि से 7 कार्य दिवसों के अंदर निगम के पास पहुंच जाना चाहिए। निगम के पास शिकायत जैसाकि ऊपर में बताया गया है, दर्ज करने के उपरांत निगम/भापनि और क्रेता के प्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त रूप से 30 (तीस) कार्य दिवसों के अंदर निरीक्षण किये जाने के लिए क्रेता संपूर्ण अनलोडेड सामान को अलग से रखेगा जिसके संबंध में शिकायत की गई है और "संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट" शीघ्र ही जारी किया जाएगा। क्रेतागण डीपीसी में प्रेषण के लिए एकबार तैयार जूट का

निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र हैं और इस उद्देश्य के लिए किसी भी स्थल (प्वाइंट) पर लॉरी को रोकने की अनुमति नहीं होगी।

1.17 हटा दिया गया।

1.18 ऐसा निरीक्षण पूरा होने एवं "संयुक्त निरीक्षण" रिपोर्ट जारी होने के उपरांत यदि क्रेता निगम/भापनि से कोई भी राशि को वसूल करने के लिए हकदार पाया जाता है जो उस सामान के संबंध में एवं जिसके विरुद्ध ऐसे दावे उठाए हैं, क्रेता ऐसे "संयुक्त निरीक्षण" रिपोर्ट की प्राप्ति तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर निगम/भापनि के पास उसके संदर्भ में दावा प्रस्तुत करेगा।

1.19 ई-वे बिल: पश्चिम बंगाल में या बाहरी राज्य से अन्य राज्यों में अवस्थित या राज्य के अंदर किसी भी स्थान से (जब कभी प्रभावी होता है) क्रेता के जूट मिलों को इस अनुबंध के अंतर्गत जूट परिवहन के लिए प्रावधान के अनुसार अनुबंध का प्रारंभ होने के 3 दिनों के अंदर क्रेता द्वारा आवश्यक ई-वे बिल प्रदान किया जाएगा, असफल होने पर वहां से उत्पन्न होने वाली सभी देयताएं क्रेता के होंगे। ई-वे बिल्स न जमा करने के कारण सामानों के प्रेषण में कोई भी विलंब क्रेता के खाते पर होगा और निगम/भापनि किसी भी खाते पर उत्तरदायी नहीं होगा।

1.20 भुगतान की व्यवस्था करने में क्रेता की ओर से असफलता के किसी भी विलंब के होने पर जैसाकि इसमें विनिर्दिष्ट है कि अनुबंध की तिथि से 5 कार्य दिवस एवं ढुलाई प्रभार के साथ अधिकतम और 5 कार्य दिवस के अंदर एवं/या अनुबंधित मात्रा को निर्धारित समय अवधि के अंदर डेलिवरी लेने से अथवा अनुबंध के किसी भी शर्त का कार्य-निष्पादन करने से उनके/उनकी असफलता एवं/या इंकार करते हैं तो निगम/भापनि को निम्नलिखित विकल्प में से किसी भी या सभी का प्रयोग करने का अधिकार होगा:

i) ईएमडी की पूरी राशि की जब्ती सहित अनुबंध को समाप्त करना और घाटे को वसूलना, यदि कुछ हो।

ii) अनुबंध को समाप्त करना और अनुबंध के रद्द होने की तिथि पर जेबीए के कोटेशन के अनुसार अनुबंध मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अंतर राशि को क्रेताओं पर चार्ज करना, यदि कुछ हो।

iii) क्रेता को बिना किसी भी पूर्व सूचना के निगम/भापनि द्वारा किसी भी तरीके से जो उचित समझा गया हो, अनुबंध को रद्द करना और सामान को बेचना एवं भापनि द्वारा उठाए गए हानि यदि कुछ हो तो उसे किसी भी तरीके से जैसा भी उचित समझा जाता है, क्रेता/इच्छुक क्रेता से वसूल करने का हकदार होगा जिसमें पूरे ईएमडी को जब्त करना शामिल है।

iv) भापनि के उपरोक्त कार्रवाईयां कानून के अंतर्गत अधिकारों और उपायों को सीमित किए बिना एवं उसके अतिरिक्त हैं।

1.21 कर: क्रेता इस तरह की आपूर्ति पर लागू दर पर जूट के मूल्य पर जीएसटी का भुगतान करेगा। आपूर्ति के तरीके के आधार पर आईजीएसटी या सीजीएसटी और एसजीएसटी का प्रभार लिया जाएगा।

1.22 विवाद: इसमें निहित शर्तों के अनुसार, विवादों की स्थिति में या इस अनुबंध के साथ उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित मतभेद अथवा दावे या इस संबंध में किसी भी तरह से या इसमें दर्शाए गए किसी भी विनियम, शर्त या

प्रावधान अथवा इसके निर्माण या व्याख्या या अन्यथा उसके संबंध में पार्टियां भापनि के पंजीकृत कार्यालय में आमने-सामने इस तरह के विवादों, मतभेदों, दावों या प्रश्नों को मित्रतापूर्ण परामर्श एवं बातचीत द्वारा निपटाएंगी।

1.23 किसी भी विवाद के मित्रतापूर्ण समाधान के दौरान किसी भी तरह से या किसी भी कारण से चाहे जो भी हो, इस अनुबंध के कार्य, कार्य-निष्पादन और/या प्रासंगिक कोई अन्य मामले को रोका, प्रतिबंधित, बाधित या विलंबित नहीं किया जाएगा।

1.24 अर्बिट्रेशन: अनुबंध के साथ उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित मतभेद अथवा किसी भी दावे के मामले में उसे अर्बिट्रेशन के पास भेजा जाएगा। अर्बिट्रेटर (विक्रेता के एक कर्मचारी के अलावा) को भापनि के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अर्बिट्रेटर का निर्णय अंतिम और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। अर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, 1996 के प्रावधानों द्वारा अर्बिट्रेशन शासित होगी। स्थान या अर्बिट्रेशन अन्य सभी अधिकार क्षेत्र को छोड़कर कोलकाता में होगा।

1.25 अप्रत्याशित घटना: क्रेता/विक्रेता के नियंत्रण से परे किसी भी परिस्थिति में जैसे कि प्राकृतिक आपदा, सामान्य हड़ताल, बंद, हड़ताल, दंगा, तत्व, युद्ध संगरोध, आग, बाढ़ या अप्रत्याशित घटना की परिस्थिति के कोई भी कार्य होने से अनुबंध उपर्युक्त कारणों से उत्पन्न होने वाली क्षति/विनाश/कमी की सीमा तक रद्द हो जाएगी। क्रेता/विक्रेता 30(तीस) दिनों के अंदर क्रेता/विक्रेता को ऐसी कमी की मात्रा को बताएगा। क्रेता/विक्रेता ने एतद्वारा स्पष्ट रूप से इस तरह की कमी की मात्रा को रद्द करने की सहमति व्यक्त की है और न तो किसी भी कार्रवाई, कानून या अन्यथा का सहारा लेगा और न ही उसके संबंध में किसी भी मुआवजे की मांग करेगा।

1.26 अन्य सभी निबंधन और शर्तें बोली सं.: संदर्भ सं. ---------------- दिनांक: 01.11.2019 के अनुसार

क्रेता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित इस प्रस्ताव की डुप्लीकेट प्रति के साथ आवश्यक भुगतान व्यवस्था को इस अनुबंध के सभी निबंधन और शर्तों की पुष्टि में प्रस्ताव जारी करने की तिथि से 3(तीन) कार्य दिवसों के अंदर वापस कर दी जानी चाहिए।

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड की ओर से

विपणन प्रबंधक

हम उपरोक्त में दर्शाए गए निबंधन और शर्तों पर
अनुबंध को स्वीकार करते हैं।

नाम : ______________________________

हस्ताक्षर : ___________________________

पदनाम : _____________________________

मिल का नाम : ________________________

तारीख: